कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्पयूटर– /2013–14/दिनांक लखनऊ १५ मार्च 2014

समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/
समस्त उप निदेशक, भूमि संरक्षण/
समस्त उप निदेशक, कृषि रक्षा, उत्तर प्रदेश।

कृपया निदेशालय के पत्रांक–कम्प्यूटर–2471 दिनांक 25–02–14 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना के अन्तर्गत चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मो को वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 का डाटा/लाभार्थियों का विवरण कम्पटरीकृत करने के लिये उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त क्रम में जनपदीय अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर की गई जिज्ञासाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

1. वर्ष 2012–13 का लाभार्थियों का विवरण/बैकलाग डाटा मेसर्स अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएटस, लखनऊ के नामित प्रतिनिधि को उक्त पत्र के साथ प्रेषित रूपपत्र पर अंकन के उपरान्त मूल रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। और फीडिंग के पश्चात उसी रूपपत्र पर अंकित करते हुए वापस प्राप्त किया जायेगा।

2. वर्ष 2013–14 का डाटा भूमि संरक्षण की योजनाओं से सम्बन्धित मेसर्स जमुना शुक्ला एण्ड एसोसिएटस, वाराणसी द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा अन्य योजनाओं से सम्बन्धित मेसर्स अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएटस, लखनऊ के नामित प्रतिनिधियों को मूलरूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वर्ष 2012–13 के बैकलाग डाटा इन्ट्री के लिये प्रति इन्ट्री रू0 4 पैसे 90 मात्र की दर से भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2013–14 के डाटा की फीडिंग का भुगतान सम्बन्धित योजनाधिकारियों की संस्तुति पर कार्य योजना में दिये गये दिशानिर्देश तथा आदेश संख्या–2467 दिनांक 19–02–2014 के अनुसार अपर कृषि निदेशक (प्रसार) द्वारा किया जायेगा।

4. जनपदों में बैकलाग डाटा इन्ट्री हेतु भुगतान के लिये एक डाटा से तात्पर्य एक लाभार्थी को एक योजना में दिये गये समस्त लाभ से है। किसी लाभार्थी को यदि एक मद में दो या अधिक येाजनाओं से अनुदान प्राप्त होता है तो बैकलाग डाटा इन्ट्री के भुगतान के लिये उसे एक ही डाटा माना जायेगा।

5. चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मो ने कुछ ऐसे जनपदीय अधिकारियों के बारे में सूचना दी है जो डाटा उपलब्ध कराने में टाल मटोल कर रहे हैं, यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। कृपया आप अपने स्तर से प्रत्येक जनपदीय उप कृषि निदेशक के कार्यालय में इस कार्य के लिये किसी एक कर्मचारी को उत्तरदायी बना दें जो चयनित फर्म के प्रतिनिधियों को समस्त डाटा उपलब्ध कराये। जनपद के समस्त कार्यालयों का डाटा उपलब्ध कराने के लिये समग्र रूप से जनपदीय उप कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

6. ध्यान रहे बैकलाग डाटा इन्ट्री का कार्य 31 मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना है इसलिये डाटा फीडिंग हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

7. डाटा फीडिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात सभी जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारियों से इस बात का प्रमाण पत्र लेकर उपलब्ध कराया जाय कि "**उनके नियन्त्रण में संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित बैकलाग डाटा की फीडिंग हो चुकी है। अब उनके स्तर पर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के स्तर पर कोई भी बैकलाग डाटा फीडिंग हेतु अवशेष नहीं है।**"

8. योजनान्तर्गत जितना भी बैकलाग डाटा फीड हो रहा है उसका भुगतान जनपदीय उप कृषि निदेशक के स्तर से किया जाना है इस हेतु बजट की मॉग सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाय।

9. दिनांक 01–06–2014 से लाभार्थियों को योजनाओं में देय लाभ का वितरण अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आरम्भ किया जाना है। इस हेतु लोकसभा के आम चुनाव के तत्काल बाद योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए, लाभार्थियों/किसानों का ऑन लाइन पंजीकरण प्रारम्भ करा दिया जाय, ताकि किसानों को लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाय।

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–कम्पयूटर– 2482 /तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जनपदीय एंव क्षेत्रीय अधिकारी, कृषि विभाग को इस निर्देश के साथ कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने बैकलाग डाटा इन्ट्री से सम्बन्धित अभिलेख चयनित फर्म के प्रतिनिधियों को मूलरूप में उपलब्ध करा दें तथा अपने से सम्बन्धित उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
2. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने कार्यालय परिसर में स्थित कम्पयूटर केबिन अथवा कोई कक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के प्रतिनिधियों को बैठने हेतु तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि वे लाभार्थियों का पंजीकरण कर सकें तथा विभागीय अधिकारियों को वांछित सूचनायें/ रिपोर्टस भी उपलब्ध करा सकें।
3. समस्त योजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से कि वे अपनी योजनाओं की बैकलाग डाटा इन्ट्री तथा ऑनलाइन मानीटरिंग की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए प्रत्येक सोमवार को अधोहस्ताक्षरी को प्रगति विवरण प्रस्तुत करें।
4. मेसर्स अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएटस, लखनऊ एंव मेसर्स जमुना शुक्ला एण्ड एसोसिएटस, वाराणसी को इस आशय से कि वे निर्धारित समय से अपेक्षित कार्य पूर्ण करें, यदि जनपद/मण्डल स्तर पर उन्हें अपेक्षित सहयोग सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी को दें।
5. प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनकी अध्यक्षता में दिनांक 11–03–2014 को सम्पन्न बैठक के क्रम में सूचनार्थ ।

(देव मित्र सिंह)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।